संख्या-487/63व0उ0-2010-आर-1771,

प्रेषक,

एस0आर0 यादव
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
उ0प्र0,कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ : दिनॉक 23 मार्च, 201

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुदान संख्या-6 (आयोजनेतर) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग व वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1581/ह0क0-वित्त बजट/2009-10 दिनांक 03.03.1 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपिका ट्रेनिंग सेन्टर-3-ए/206, रामकुटी,आजाद नगर, कानुपर के भवन का परिक्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उपयोग किये जाने हेतु बकाया किराये का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, यूपिका को किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय, अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेतर-001 निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय हथकरघा निदेशालय के अन्तर्गत रू0 5,05,000.00 (रूपया पॉच लाख, पाच हजार मात्र) पुनर्विनियोजित कर डिक्की की धनराशि के रूप में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-6 के उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत मानक मद 17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान एवं लेखाशीर्षक की मद संख्या-01 वेतन में होने वाली बचतों से वहन किया जायेगा।

3- उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जाए।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-6-188/दस-2010 दिनांकः 22 मार्च 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस0आर0यादव)
अनु सचिव।

संख्या-487(1)/63-व0उ0-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय/लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(एस0आर0यादव)
अनु सचिव।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) वित्तीय वर्षः 2009-10

प्रपत्र-बी.एम.-15

(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
285100001030001	83598	1000	505	505	82598
योगः-	83798	1000	505	505	82598

(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
285100001000317	251	756	505	505	756
योगः-	251	756	505	505	756

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 संख्याः आरई.-672 /ई-6-180/दस-2010,दिनॉक-23-3-10 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर .....

नाम एवं पदनामः- एस0 आर0 यादव, अनु सचिव

प्रशासकीय विभागः- हथकरघा वस्त्रोद्योग

हस्ताक्षर .....

नाम एवं पदनाम :- नीलिमा श्रीवास्तव, अनु सचिव

वित्त विभाग :- वित्त विभाग

संख्या-614 /63व0उ0-2010-आर-1771/09 दिनांक 23 मार्च 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)

6- गार्ड पत्रावली।

हस्ताक्षर .....

नाम एवं पदनामः- एस0 आर0 यादव, अनु सचिव

प्रशासकीय विभागः- हथकरघा वस्त्रोद्योग